BHILAI MAHILA MAHAVIDYALAYA

Managed by Bhilai Education Trust
Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg
Accredited 'B' by NAAC
Ph. No. 0788-2242699, Fax : 2210078
Website : www.bmmbhilai.com

20/12/23

Your Future Starts Here.....

An Institute that strives to prepare Women of today, tomorrow & beyond

Admission Brochure

2022-2023

VISION

To be acknowledged as a pro-active institution which strives hard to fulfil the aspirations of students, help them in developing sound knowledge base, correct skills, attitudes and understanding to enable them to sail confidently through complexities and challenges of life.

GOALS OF OUR EDUCATION

- To enable our students to develop their full intellectual potential through a focussed academic experience that is simultaneously rich, extensive and collaborative.
- To offer the students scope for critical thinking and discernment, leading to the development of value based convictions.
- To help the students develop a degree of self reliance and determination, to respond with courage and sensitivity to personal and social issues.
- To generate among students an awareness of women's issues, human rights and environmental issues, so that they understand and respond constructively to these.
- In the context of the globalization, to foster in students a sense of national identity that is secular and multi-cultural with respect and tolerance of all cultures and religions for humanity at large.

The Objective of the College has always been commitment to women, as such education is perceived to be the means of both personal and social transformation and provides upliftment that helps in the all round growth of students.

From the Principal's Desk ...

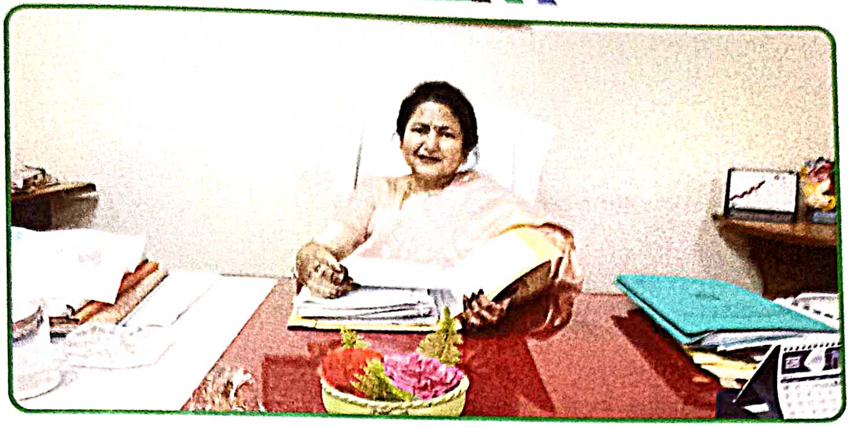

In the words of APJ Abdul Kalam Azad,

'Educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role models.'

And this is what Bhilai Mahila Mahavidyalaya aims at. Acquainting every student with their inner potential is the main focus of Bhilai Mahila Mahavidyalaya

The College believes in providing the best education coupled with the holistic growth of a student and aims to transform them into successful citizens.

In today's dynamic world when every moment a new innovation in technology is evolved, the college provides ample opportunities to its students to innovate and think critically and follow the learning process.

The very thought of the progress the Institution has made over the years by imbibing in its students the value-based education synergized with modern teaching-learning technology to produce a well-informed emotionally sound generation fills us with pride and happiness.

I can ensure that in the times to come we shall continue this journey with elevated enthusiasm and determination and provide a platform of holistic learning to the young future generation of learners.

An expert and competent team of professionals who possess expertise in different fields strive hard to concentrate on every student, monitor and mentor them, appreciate their achievements and encourage them to overcome their shortcomings. Even the staff members are given equal opportunities to evolve new trends of teaching, keeping in mind the dictum of the quote

"Where team works Dreams work"

It gives me immense pleasure to inform that 43 of our students appeared in the merit list on various positions of Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg which was declared a few days ago for the session 2020-2021, forty-three of our students appeared on the merit list in various positions and also bagged seven gold medals in various streams both at UG & PG levels. This was made possible only through the guidance of the Principal, the dedication and devotion of the staff, and the hard work and efforts of students.

It is only that a team with proper vision in mind can reach the pinnacles of success that every institution aspires for!

Dr. Sandhya Madan Mohan
Principal
Bhilai Mahila Mahavidyalaya

भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
(भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित)

मनुष्य विवेकशील प्राणी है। शिक्षा उसे संस्कार से विभूषित करती है। इस विश्व में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है - ''नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'' ऐसा 'गीता' में कहा गया है। शिक्षा विश्व-वातायन है। व्यक्तित्व विकास का प्रमुख सोपान है यही शिक्षा आर्थिक सुदृढ़ता द्वारा राष्ट्र उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारतीय समाज में नारी की अद्वितीय भूमिका है। पढ़ी लिखी स्त्री ही भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत एवं कर्तव्य परायण बनाने में समर्थ होती है। भिलाई महिला महाविद्यालय नारियों की इसी अस्मिता को स्वीकार करते हुए उसके शिक्षा उन्नयन एवं नया स्वरूप गढ़ने में निरंतर प्रयासरत है। भिलाई महिला महाविद्यालय शिक्षा के माध्यम से नारी उत्थान के समस्त पहलुओं को प्रोत्साहित करने वाला तथा अध्ययन विषयों में अकादमिक विशेषज्ञता स्थापित करने वाला विशिष्ट शिक्षण संस्थान है। भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा 1979 से संचालित इस महाविद्यालय को इस्पात नगरी भिलाई के प्रथम महिला महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ट्रस्ट के सदस्य अधिकारी, भिलाई के जागरूक अभिभावक, संयंत्र के उच्चाधिकारी, समाजसेवी, उद्योगपति एवं प्रबुद्ध वर्ग हैं। उत्कृष्ट अधोसंरचना से युक्त महाविद्यालय स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं गृहविज्ञान दो संकायों से 120 छात्राओं के सहित प्रारंभ किया गया था। किन्तु आज 1750 छात्रा संख्या एवं विभिन्न संकायों, विषयों से संपन्न यह महाविद्यालय न केवल स्थानीय छात्राओं को वरन् राज्य एवं राज्येत्तर छात्राओं को भी शिक्षा प्रदान करने में संलग्न है। महाविद्यालय में विज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, कला संकाय स्नातक स्तर पर संचालित है इसके अतिरिक्त रसायन, गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर साइंस, प्राणी वनस्पति, बायोटेक्नॉलाजी, माइक्रोबायोलाजी, टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग, ह्यूमन डवलपमेंट, एम.काम, पी.जी.डी.सी.ए की स्नातकोत्तर की कक्षाएं भी संचालित है। महाविद्यालय में गृहविज्ञान, रसायन शास्त्र, बायोटेक्नॉलाजी एवं वाणिज्य में शोध केन्द्र उपलब्ध है। इसके साथ ही गृहविज्ञान में चार, वाणिज्य में तीन, रसायन वि. में दो प्राणीविज्ञान में दो गणित में एक वनस्पति में एक, बायोटेक्नॉलाजी में एक माइक्रोबायोलॉजी में एक तथा बी.एड में एक महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। पारंपरिक विषयों के अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम में निष्णात करने हेतु महाविद्यालय अग्रसर है। हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में अध्यापन महाविद्यालय की विशेषता है। महाविद्यालय के प्राध्यापक उच्च उपाधियुक्त होने के साथ-साथ परिवर्तित आधुनिक पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता हेतु रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन, सेमीनार, वर्कशॉप आदि में अपनी सहभागिता द्वारा अपने को नव्यज्ञान से संपन्न करते हैं। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नियमित अनुदान प्राप्त होता है तथा यह संस्थान हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है।

यह महाविद्यालय न केवल पाठ्यक्रमोचित गतिविधियों में वरन् क्रीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रदेश में अग्रणी है। इन क्षेत्रों में महाविद्यालय की छात्रायें राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। मूल्य आधारित शिक्षा आज की आवश्यकता है और भिलाई महिला महाविद्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरत है।

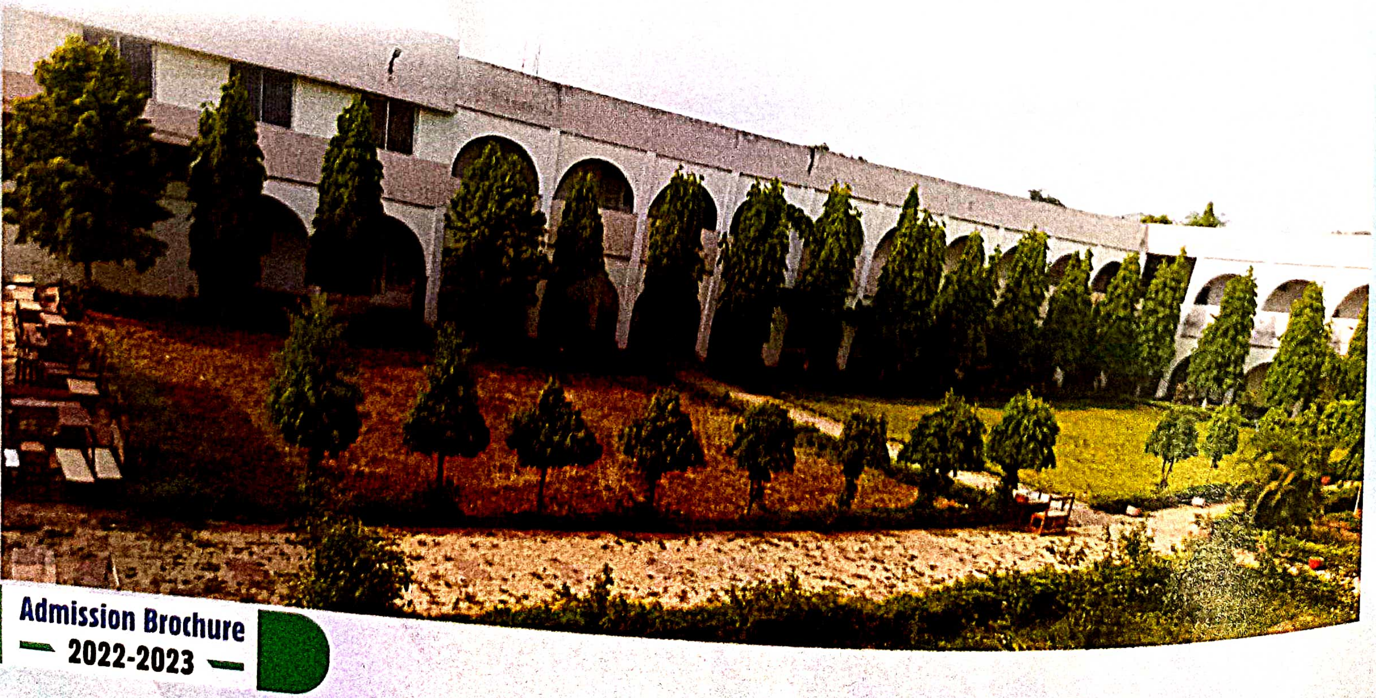

हमारी शिक्षा का उद्देश्य

1. महाविद्यालय की छात्राओं को बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति संपन्न बनाना।
2. छात्राओं में मूल्य आधारित नेतृत्व क्षमता का विकास।
3. सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रति संवेदनशील जागरूकता।
4. लिंग भेद, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि ज्वलंत विषयों के प्रति जागृति एवं सक्रियता।
5. छात्राओं में धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विविधता जैसे प्रकरणों पर समझ एवं सम्मान विकसित करना।

छात्रावास

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से महाविद्यालय से कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थानों से आयी छात्राओं के लिए 200 सीटों से युक्त छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। आवास एवं भोजन सुविधा के अतिरिक्त यहाँ रहने वाली छात्राओं को देश की इन्द्रधनुषी संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न पर्वो त्योहारों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन छात्रावास में किया जाता है।

सत्र प्रारंभ

कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सत्र प्रारंभ किया जायेगा। विगत सात वर्षो से महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली प्रचलित है।

पाठ्यक्रम

भिलाई महिला महाविद्यालय आज पाठ्यक्रमों की विविधता का पर्याय बन चुका है। विज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य संकाय के पारंपरिक विषयों के (बी.एस.सी. बायोलॉजी, गणित, गृहविज्ञान एवं एम.एस.सी. गृहविज्ञान, मानवविकास, टेक्सटाइल एवं क्लोथिंग, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक, गणित एवं एम. कॉम) के अतिरिक्त बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. कम्प्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायलॉजी, बी.सी.ए., बी.एड., ई कामर्स एवं पी.जी.डी.सी.ए. जैसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के अध्यापन की व्यवस्था भी है। उपाधि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अल्प अवधि प्रमाण-पत्र वाले टेली, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सम्प्रेषणीय हिंदी, सीएमए एण्ड सीएफपी, बेकरी एवं कान्फेक्शनरी जैसे कई डिप्लोमा पाठ्यक्रम महाविद्यालय में समय-समय पर संचालित किए जाते है सत्र 2021 से महाविद्यालय में बी.ए. (कला संकाय) की कक्षाएं हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्रके साथ प्रारंभ की गयी है।

पुस्तकालय

महाविद्यालय का पुस्तकालय लगभग 32,177 पुस्तकों एवं 21 पत्र पत्रिकाओं से समृद्ध है । निर्धन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए बुक बैंक योजना है। महाविद्यालय का पुस्तकालय इंटरनेट मल्टीसीट (10 सीटों से युक्त) कम्प्यूटर सिस्टम एवं N-List एवं e-Lib, की सुविधा से युक्त है, इसके अंतर्गत 6000+ ईजर्नल्स 1,99,500+ ई-बुक्स एवं N-List के अंतर्गत 6,00,000 ई-बुक्स के अध्ययन की सुविधा हैं।

पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियाँ

शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त साहित्यिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी गतिविधियाँ की जाती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में रा.से.यो. की दो इकाईयाँ कार्यरत हैं जिनके द्वारा छात्रायें व्यक्तित्व विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों से जुड़ी हुई हैं।

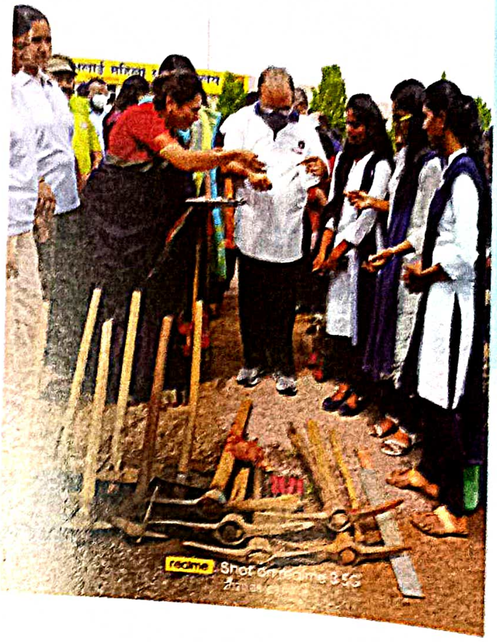

शिक्षक अभिभावक संघ

शासन के निर्देशानुसार सत्र 2003-04 में शिक्षक-पालक संघ बनाया गया। इस संघ द्वारा शिक्षकों अभिभावकों के सुझाव एवं मतों का ध्यान रखते हुए महाविद्यालय के उन्नयन की दिशा में कार्य किया जाता है।

क्रीड़ा

एक स्वस्थ मस्तिष्क को स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। छात्राओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए महाविद्यालय में बैडमिंटन, खो-खो, बॉलीबॉल, सॉफ्टबाल, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल-टेनिस, शतरंज, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, नेटबॉल, बॉल बैडमिंटन, क्रास कण्ट्री आदि खेलों की व्यवस्था है।

प्रकोष्ठ एवं समितियाँ

विद्यार्थियों को उनके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता देने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय में विभिन्न समितियाँ एवं प्रकोष्ठ जैसे-रैंगिग विरोधी एवं अनुशासन प्रकोष्ठ, ग्रीवान्स (शिकायत) प्रकोष्ठ, जनसंपर्क एवं प्रचार प्रकोष्ठ, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., कमजोर वर्ग प्रकोष्ठ, रोजगार नियोजन प्रकोष्ठ, छात्र सहायता प्रकोष्ठ, भूतपूर्व छात्र (जानकारी) प्रकोष्ठ अपने-अपने निश्चित क्षेत्रें में सक्रिय हैं। छात्राओं के लाभ हेतु महाविद्यालय के कैरियर गाईडेंस एवं पर्सनलिटी डेवलपमेंट प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर विद्वान वक्ताओं द्वारा विभिन्न व्याख्यान एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय का प्लेसमेंट सेल छात्राओं को साक्षात्कार एवं चयन हेतु विभिन्न संस्थानों में भेजता रहा है।

प्रयोगशालायें

महाविद्यालय में रसायन, भौतिकी, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, गृहविज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी एवं बायोटैक्नॉलाजी आदि की प्रयोगशालायें समृद्ध एवं आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित एवं पूर्ण हैं।

कम्प्यूटर केन्द्र

महाविद्यालय 99 कम्प्यूटर के स्वामित्व से युक्त है महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है । विविध साफ्टवेयर, इंटरनेट एवं 2 मल्टीसीट (10 सीट युक्त) एवं 2 सेट थिंक लाइन की सुविधा भी महाविद्यालय में विद्यमान है।

महाविद्यालय का ध्येय

सम्पूर्ण मानवता के प्रति सम्मान एवं आदर्शभाव से युक्त समाजोत्थान एवं मानव उन्नयन हेतु कृत संकल्पित....

1. जाति, वर्ग, सम्प्रदाय से निरपेक्ष सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ प्रदान करना।
2. नव्यतय ज्ञान से संपन्न करते हुए कमजोर छात्राओं का उत्थान एवं सशक्तिकरण।
3. छात्राओं में आवश्यक शिक्षण कौशल द्वारा आत्मविश्वास, जिससे जीवन की जटिलताओं एवं चुनौतियों का सामना किया जा सकें।
4. छात्राओं में समर्पण, लगन एवं उत्कृष्टता की भावना जागृत करना।
5. सुदृढ एवं अविचलित चरित्र से युक्त सक्षम नागरिकों का निर्माण।

प्रवेश संबंधी निर्देश

1. राजपत्रित अधिकारी अथवा प्राचार्य द्वारा प्रमाणित पूर्व परीक्षाओं की अंकसूची की एक प्रतिलिपि।
2. जिस संस्था से परीक्षा पास की है, उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त सदाचार प्रमाण-पत्र अथवा स्वाध्यायी छात्रयें राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. प्रवेश पूर्व परीक्षाफल घोषित होने के तुरन्त बाद प्रारंभ कर दिये जाएंगे।
4. स्थानीय छात्राएँ प्रवेश विश्व विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफ लाइन जमा करें।
5. छात्राओं को प्रवेश की सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी। प्रवेश प्राप्त छात्राओं के नाम सूचना फलक पर लगा दिये जायेंगे।
6. कोई भी छात्रा आवेदन के साथ या मनीऑर्डर से कोई राशि न भेजे। महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान किये जाने के बाद ही शुल्क स्वीकार किया जाएगा।
7. प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय में आवश्यक पंजीयन पश्चात ही महाविद्यालय प्रवेश ले सकेंगे।
8. यदि प्रथम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त छात्राओं ने प्रवेश नहीं लिया तो प्रतीक्षा सूची के छात्रओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. विभिन्न शुल्क ऑनलाइन/नगद ही लिये जायेगें। चेक/एटीएम स्वीकृत नहीं होगें।

प्रवेश लेने के समय निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे

1. जिस संस्था से अंतिम शिक्षण प्राप्त किया है, उसके द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.)
2. पूर्व परीक्षा की मूल अंकसूची
3. सदाचार प्रमाण पत्र
4. दो पासपोर्ट साइज फोटो
5. प्रवजन प्रमाण-पत्र (शिक्षा मंडल रायपुर अथवा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को छोड़कर अन्य बोर्ड, विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं द्वारा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति की स्थिति में प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
7. पात्रता प्रमाण-पत्र (यदि आवेदिका ने माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग., केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या पं.र.शु. वि. रायपुर के अलावा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो)
8. गैप प्रमाण पत्र (यदि एक या उससे अधिक सत्र का अन्तराल हो तो)
9. खेल, साहित्य, सांस्कृतिक, एन.सी.सी., एन.एस.एस. का प्रमाण पत्र (यदि हो)
10. रैगिंग के विरूद्ध वचन पत्र भरना अनिवार्य है।
11. छात्रावास सुविधा हेतु पृथक आवेदन पत्र भरना आवश्यक है।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुविधायें मुख्यतः स्थानीय निवासियों के लिये है।
3. महाविद्यालय में प्रवेश एक विशेषाधिकार है, जिसे निष्ठापूर्वक कार्य एवं सदाचार से अर्जित करना चाहिए।
4. जिन छात्राओं का आचरण असंतोषजनक रहा है अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशांति की आशंका हो, ऐसी छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
5. जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

6. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
7. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी का संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापसी नहीं किया जायेगा।

शुल्क संबंधी अन्य नियम एवं सुविधाएं

1. विशेष परिस्थितियों में यदि छात्रा को अस्थायी प्रवेश दिया जाता है तो छात्रा का यह अपना उत्तरदायित्व होगा कि वह उसे निश्चित अवधि में स्थायी करा ले। ऐसा न करने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा परंतु पूर्ण सत्र का शुल्क देना होगा।
2. यदि किसी कारणवश छात्रा बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ती है तो उसे पूरे सत्र का शुल्क देय होगा।
3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रत्येक छात्रा को अनिवार्यतः नामांकन कराना है। किसी भी कारणवश नामांकन कराने में असमर्थ छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उनके द्वारा प्रदत्त महाविद्यालयीन शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा।
4. छात्रायें शुल्क प्रस्तुत करने के प्रमाण स्वरूप सभी रसीदें सम्भाल कर रखें।

विभिन्न छात्रवृत्तियाँ एवं शुल्क छूट

1. महाविद्यालय द्वारा क्रीड़ा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर प्रवेश शुल्क में छूट दी जाएगी।
2. शासन द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ छात्रओं को दिलाने का प्रयास किया जाता है।

अन्य ज्ञातव्य नियम

1. निम्नलिखित में से किसी एक या अनेक कारणों से छात्र को महाविद्यालय से पृथक करने का अधिकार प्राचार्य को है-
   अ. कक्षा में संतोषजनक प्रगति न होने पर।
   ब. प्राचार्य के मतानुसार किसी छात्र का आचरण संतोषप्रद न होने पर।
2. प्राचार्य को यह भी अधिकार है कि बिना कारण बताये किसी भी छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दें और इस विषय में कानूनी कार्यवाही का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।
3. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र लेने के पश्चात सुरक्षा निधि की राशि मूल रसीद प्रस्तुत करने पर वापस की जावेगी।
4. सुरक्षा निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के सत्र (31 मार्च वित्तीय वर्ष तक) के अंदर की जाती है। इसके पश्चात प्रत्यर्पण नहीं होगा। सुरक्षा निधि प्राप्त करते समय प्रवेश की मूल रसीद प्रस्तुत करना होगा तथा परिचय पत्र (IDENTITY CARD) जमा करना होगा।

पुस्तकालय के सामान्य नियम

1. छात्राएं एक समय में पुस्तकालय से 14 दिनों के लिये दो पुस्तकें प्राप्त कर सकती हैं।
2. इस अवधि के पश्चात पुस्तक न वापस करने वाले को विलम्ब के प्रतिदिन 1.00 रू. प्रति पुस्तक के हिसाब से अर्थदंड देय होगा।
3. छात्राओं को चाहिए कि पुस्तकें निर्गमित कराते समय पुस्तकों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तक के पृष्ठ कटे या फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना, रेखांकित करना, पृष्ठ निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना दंडनीय है।
5. छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वतः अवगत रहें।
6. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि पुस्तकालय में शांति बनाए रखें एवं अनुशासित एवं मर्यादित रहें।

छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही की भागीदार होगी।

1. छात्रायें शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगी। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक छात्रा अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगी साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगी।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगी, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगी।
4. प्रत्येक छात्रा अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगी।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक छात्र का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगी।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। छात्रा असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगी। छात्रायें अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेंगी और अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दल, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगी।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में छात्र की 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. छात्राएँ प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगी। उनको स्वच्छ रखेंगी एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
3. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्या के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी।
4. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. छात्रा को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में छात्रा शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगी तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगी।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रत्यत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्रा किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
2. यदि छात्रा रैगिंग में लिप्त पायी गई तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्मना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि छात्रा समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करती तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि छात्रा किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगी अथवा गलत प्रस्तुत करेगी तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु छात्रा द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

Our Noteworthy Accomplishments

Not forgetting to mention some of the accomplishments attained in the last one Year, by the institution. Some of the noteworthy of which are :

- Opening of Research Centers in the departments of Chemistry, Biotechnology and Home Science.
- Permanent affiliation of 15 subjects with Hemchand Yadav University, Durg.
- Proposed for increase in number of seats in subjects like M.Sc Physics from 10 to 30, in PGDCA from 30 to 60 and in B.Sc. Biotechnology and Microbiology from 30 to 70 each.
- A total of 12 number of teachers have been registered as Research Guides in their respective subjects by Hemchand Yadav Vishwavidyalaya.
- Permission for starting new courses like B.A. -B.Ed., B.Sc.- B.Ed. and BBA is awaited.

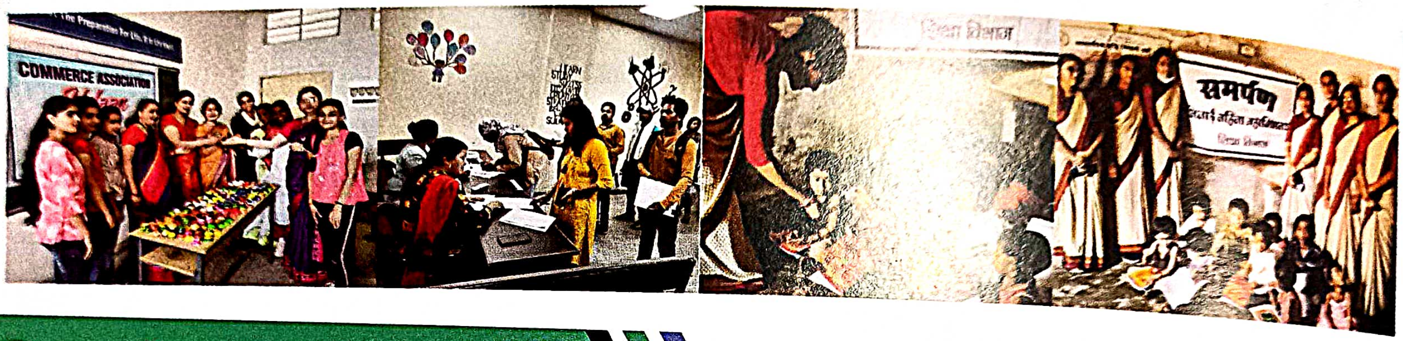

Preparing For The Future

1 MOU signed between Bhilai Mahila Mahavidyalaya and Government Digvijay Autonomous PG College, Rajanandgaon
2 MOU signed between Bhilai Mahila Mahavidyalaya and BITCON Raipur.
3 MOU signed between Bhilai Mahila Mahavidyalaya and O. P. Jindal University Raigarh.

Givers as Winners & Achievers

- Our College has received a grant of Rs. 46 Lakh for a prestigious project from DST /CURIE New Delhi .
  * Principal Investigator of the Project – Dr.Sandhya Madan Mohan
  * Nodal Officer of the Project – Dr.Rupam Ajeet Yadav
  * Sub Nodal Officer of the Project – Dr. Bhawna Pandey
  * Members of the Project – Dr.Pratiksha Pandey, Dr.Ranjana Sahu, Dr. Amarpreet Kaur Bhatia
- Dr. Sandhya Madan Mohan Principal, Bhilai Mahila Mahavidyalaya
  * Member - Central Board of Studies in C.G State- Representing as Chairman Board of studies, H.Sc Hemchand Yadav University Durg.
  * Chairman H.Sc. Board of Studies Hemchand Yadav University Durg.
  * Member – Faculty of H.SC, Hemchand Yadav University, Durg.
  * Member – Examination Committee H.Sc., Hemchand Yadav University, Durg
- Dr. Pratiksha Pandey, Head of Botany Department
  * Member - Board of Studies Botany, IBM University Chhura, Gariyaband
  * Member - Board of Studies Botany, Govt. Digvijay College, Rajnandgaon.
- Dr. Mohana S. Pandit, Head of B.Ed. Department
  * Member - Central Board of Studies B.Ed., C. G State
  * Member – Board of Studies B.Ed., B.Sc. B.Ed & B.Com B.Ed., Hemchand Yadav University, Durg.
  * Member – Exam Committee B.Ed, Hemchand Yadav University, Durg
  * University Representative – Governing Body – Agrasen College, Durg
- Dr. Bhawna Pandey, Head of Biotechnology Department
  * Member – Board of Studies Biotechnology, Hemchand Yadav University, Durg
  * Member – Board of Studies Biotechnology, Govt. Digvijay College, Rajnandgaon.
- Dr. M. Madhuri Devi, Assistant Professor Commerce
  * Indian Researcher Award 2021 by International Research Association, England.
  * Adarsh Vidya Saraswati Rashtriya Puraskar -2022 by Global Management Council, Ahmedabad.
  * Best Teacher Award -2022 in the country by Global Management Council, Ahmedabad.
- Dr. Deepti Chauhan, Assistant Professor Botany
  * Second Prize is in " Pashu Pakshi Bachao Abhiyan" organized by Arts and Commerce Girls college Devendra Nagar Raipur on the occuaion of World Earth Day.
- Many of our staff members are research supervises under Hemchand Yadav University, Durg
  * Dr. Sandhya Madan Mohan
  * Dr. Swarnalata Verma
  * Dr. Rupam Ajeet Yadav
  * Dr. Pratiksha Pandey
  * Dr. Mohana S. Pandit
  * Dr. Bhawna Pandey
  * Dr. M. Madhuri Devi
  * Dr. Barna Pal Mazumdar
  * Dr. Kanchana Sahi
  * Dr. Sapna Thakur
  * Dr. Anupama Shrivastav
  * Dr. Nishtha Vaidya
  * Dr. Amarpreet Kaur Bhatia

TEACHING STAFF

S.No.	Name of Department	Name of the staff Members
1.	Home Science	Dr. Sandhya Madan Mohan (Principal) Dr. Sunita G. Rao (HOD) Smt. Jyoti Bala Choubey Dr. Swarnalata Verma Dr. Rupam Ajeet Yadav Dr. Rajshri Chandrakar Dr. Sarita Joshi
2.	English	Dr. Nidhi Tiwari (Guest Lecturer)
3.	Hindi	Dr. Nisha Shukla (HOD) Dr. Pratima Mishra
4.	Chemistry	Dr. Madhulika Shirvastava (HOD) Dr. Barna Pal Mazumdar Dr. Amarpreet Kaur Bhatia Smt. Nishi Verma Dr. Vijaysri K.
5.	Physics	Smt. Pratibha Chhaya Claudius (HOD) Dr. Kanchana Shahi Mrs. Nandita Khanna Dr. Archana Sharan
6.	Mathematics	Dr. Asha Rani Das (HOD) Dr. Reena Shukla Dr. Sapna Thakur Mrs. M. Bhagya Laxmi
7.	Commerce	Dr. Bharti Verma (HOD) Dr. Rajshree Sharma Dr. M. Madhuri Devi Dr. Nidhi Monika Sharma Dr. Alpana Sharma
7.	Bio-technology and Microbiology	Dr. Bhawana Pandey (HOD) Smt. Sabiha Naaz Smt. Divya Paikra Dr. Ranjana Sahu Dr. Varsha Chandarakar Mrs. Bhavika Sharma
9.	Botany	Dr. Pratisksha Pandey (HOD) Dr. Deepti Chauhan
10.	Education	Dr. Mohana S. Pandit (HOD) Smt. Hemlata Sidar Smt. Bhawna Chauhan
11.	Computer Science	Ms. Salma Mohd. Shafi (HOD) Ms. Suraiya Bano Mr. Deepak Das Manikpuri Mrs. Kavita Dubey
12.	Zoology	Dr. Anupama Shrivastava (HOD) Ms. Renuka Yadav Dr. Nishtha Vaidya

REMEMBER THE RULES AND FOLLOW THEM

1. Once a student takes admission in the college, she has to pay the fees of the whole academic session even if she discontinues in the middle of the session. The total fee paid to the institution is not refundable (except caution money) under any circumstances.
2. Principal has the right to cancel the admission of any student in case she:
   i. Does not pay her fees on time.
   ii. Does not show satisfactory progress in studies.
   iii. Does not have a satisfactory conduct and behaviour.
3. Principal has the right to cancel the admission of any candidate at any time without disclosing the reasons. No legal action can be taken in this matter.
4. In accordance with University regulation of C.G. Govt. 75% attendance is compulsory in every subject for appearing in the University Examination. The rules and regulations as introduced from time to time by the Governing Body of the college, State Govt., Durg Vishwavidyalaya Durg or any Statutory body will be binding on all the students.
5. As per the decision of the Supreme Court ragging is a punishable offence. Any student found indulging in this misdeed is liable to five years imprisonment, or Rupees 5000/- penalty or both, rustication from the institution or non eligibility to admission as regular student for three years.
6. Student should fill the Hostel admission form in case she wants to avail the facility.
7. Admission will start immediately after the date of publication of result of the previous examination. Fees will be accepted at the time of admission.
8. Intimation of admission will not be communicated to the individual applicant. Names of the students selected for admission will be displayed on the college Notice Board.

CODE OF CONDUCT

1. Campus should be kept clean.
2. No loitering around corridors while lectures are on.
3. All student should carry their valid identity cards.
4. Total silence to be observed in the library.
5. Vehicles should be parked in the proper parking areas.
6. Student should be in the habit of reading the Notice Boards and be updated with the instructions and information displayed for their benefit.
7. Students should deposit the lost property found in the office and the owners should claim the same with proper identification at the earliest.
8. Proper dress code should be maintained by the students while in the college premises.
9. Students should not bring expensive items, mobiles and heavy cash to the college. They will themselves be responsible for the safety of their possessions.